# NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No. 301/NCRES/2019 दिनांक 03.12.2019

श्रीमान प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषयः– इलाहाबाद मण्डल में सम्बन्धित वर्षों की गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध न होने पर कर्मचारियों को MACP का लाभ देने से इन्कार किया जाना।

सन्दर्भः– (1) मण्डल कार्मिक अधिकारी का आदेश दिनांक 28.05.2018
(2) मण्डल कार्मिक अधिकारी का आदेश दिनांक 10.12.2018
(3) मण्डल कार्मिक अधिकारी का आदेश दिनांक 17.12.2018
(4) पत्र संख्या 940E/EC-6/वा.लि/मो.बु.लि./2016 दि0 10.1.2018/10.1.2019
(5) रेलवे बोर्ड पत्र संख्या RBE 10/97 दिनांक 09.01.1997

महोदय,

अवगत कराना है कि इलाहाबाद मण्डल द्वारा वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को सन् 2008, 2009 और 2010 से MACP का लाभ देने के लिये दिनांक 28.05.2018, 10.12.2018 और 17.12.2018 और 10.01.2018/10.01.2019 को आदेश जारी किया गया लेकिन दिनांक 28.05.2018 के आदेश के नोट–(v) के अनुसार श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता सहित 8 कर्मचारियों को, दिनांक 10.12.2018 के आदेश के नोट–(4) के अनुसार स्व. अनंग मोहन गुप्ता सहित 8 कर्मचारियों को, दिनांक 17.12.2018 के आदेश के नोट–(4) के अनुसार श्री राजेन्द्र गौतम सहित 3 कर्मचारियों को और दिनांक 10.01.2018/10.01.2019 के पत्र के द्वितीय पैरा के अनुसार श्री कन्धई लाल सहित 8 कर्मचारियों को MACP का लाभ इसलिये नही दिया गया क्योंकि इनकी गोपनीय रिपोर्ट (APAR) कार्यालय में उपलब्ध नही था।

यहां यह कहना भी महत्वपूर्ण होगा कि श्री राजीव पाण्डेय बुकिंग क्लर्क/इलाहाबाद सहित कई कर्मचारियों की WIT होने पर उन्हे हमेशा के लिये MACP से वंचित कर दिया गया जबकि प्रमोशन आदेश भी WIT की सजा समाप्त होने की तिथि से प्रभावी कर दिया जाता है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश संख्या RBE 10/1997 दिनांक 09.01.1997 के पैरा 2 (V) में स्पष्ट किया है कि जहां सुसंगत अवधि के दौरान किसी कारणवश एक या इससे अधिक गोपनीय रिपोर्ट न लिखी गयी हो वहां प्रवरण समिति को प्रश्नगत अवधि से पूर्ववर्ती

वर्ष की गोपनीय रिपोर्टों पर विचार करना चाहिये, यदि किसी मामले में यह भी उपलब्ध न रहा हो तो विचार करने हेतु अपेक्षित गोपनीय रिपोर्टों की संख्या को पूरा करने के लिये प्रवरण समिति को निचले ग्रेड की गोपनीय रिपोर्टों पर विचार करना चाहिये एवं यदि यह भी संभव न हो तो उपलब्ध सभी गोपनीय रिपोर्टों पर विचार किया जाना चाहिये लेकिन इलाहाबाद मंडल द्वारा ऐसा नही किया गया जिसके कारण कर्मचारियों को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है।

अतः NCRES की मांग है कि उपरोक्त सन्दर्भित आदेशों में MACP से वचिंत कर्मचारियों, सहित श्री राजीव पाण्डेय बुकिंग क्लर्क/इलाहाबाद एवं अन्य कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार उपलब्ध गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर MACP प्रदान कर एरियर देने हेतु उचित आदेश करने का कष्ट करें।

संलग्नः— (1) मण्डल कार्मिक अधिकारी का आदेश दिनांक 28.05.2018
(2) मण्डल कार्मिक अधिकारी का आदेश दिनांक 10.12.2018
(3) मण्डल कार्मिक अधिकारी का आदेश दिनांक 17.12.2018
(4) पत्र संख्या 940E/EC-6/वा.लि/मो.बु.लि./2016 दि0 10.1.2018/10.1.2019
(5) रेलवे बोर्ड पत्र संख्या RBE 10/97 दिनांक 09.01.1997

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री